



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।
प्रेस नोट

दिनांक 25.08.2024

**विषय:-पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक लदे 04 राशि गोवंश बरामद, 02 नफर गौ-
तस्कर थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार ।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.08.2024 को लंका पुलिस द्वारा लौटूबीर अण्डरपास से अभियुक्तगण 1. विनोद कुमार पुत्र श्री राम आसरे बिन्द निवासी कठोरी थाना अलीनगर चंदौली उम्र 20 वर्ष, 2. सोनू पुत्र राम जनम निवासी कठोरी थाना अलीनगर चंदौली उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरण:-

दिनांक 25.08.2024 को उच्चाधिकारीगण के आदेश के क्रम में अवैध मादक पदार्थ एवं गौ तस्करी की रोकथाम हेतु चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रोहनिया की तरफ से एक पिकअप वाहन नं0 UP65NT 2011 से कुछ लोग गाय बैल को क्रूरता पूर्वक लादकर वध करने के लिए बिहार ले जा रहे हैं। सूचना पर विश्वास करते हुए थाना स्थानीय पुलिस बल एवं काशी जोन एस0ओ0जी0 टीम द्वारा संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए एक पीकअप वाहन संख्या UP65 NT2011 को रोका गया जिसकी चेकिंग की गयी तो उपरोक्त वाहन में 04 राशि गोवंश क्रूरतापूर्वक लदे पाये गए तथा वाहन में मौजूद 02 नफर अभियुक्तगण को बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण-

पकड़े गए अभियुक्तगम से पूछताछ पर बता रहे हैं कि साहब हमलोग पिकअप वाहन में गोवंश लादकर रोहनिया वाराणसी से वध हेतु बिहार लेकर जा रहे थे कि आपलोगों द्वारा पकड़े गए। हमें माफ कर दीजिए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

1. विनोद कुमार पुत्र श्री राम आसरे बिन्द निवासी कठोरी थाना अलीनगर चंदौली उम्र 20 वर्ष ।
2. सोनू पुत्र राम जनम निवासी कठोरी थाना अलीनगर चंदौली उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक गिरफ्तारी 25.08.2024 को लौटूबीर अण्डरपास थाना लंका, कमि० वाराणसी ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु०अ०सं० 0329/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुकूरता अधिनियम व धारा 325 बी०एन०एस० थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. शिवाकान्त मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ०नि० धर्मेन्द्र राजपूत, चौकी प्रभारी रमना, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का० दीपक यादव, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का० आलोक कुमार वर्मा, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का० प्रेमचन्द्र मौर्या, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
6. उ०नि० पियूष कुमार, प्रभारी एस०ओ०जी० टीम, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।
7. उ०नि० शैलेन्द्र सिंह, एस०ओ०जी० टीम, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।
8. हे०का० रविन्द्र सिंह, एस०ओ०जी० टीम, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।
9. का० शैलेन्द्र सिंह, एस०ओ०जी० टीम, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।
10. का० विरेन्द्र यादव, एस०ओ०जी० टीम, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।
11. का० अखिलेश कुमार, एस०ओ०जी० टीम, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।
12. का० मयंक भूषण, एस०ओ०जी० टीम, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।
13. का० सुमित शाही, एस०ओ०जी० टीम, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल पुलिस
उपायुक्त, जोन काशी कमिश्नरेट
वाराणसी